

## प्रपत्र ॥

ग्राम :-  
ई-मेल :-

फोन :-  
फैक्स :-

### कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी कोरबा (छत्तीसगढ़)

क्रमांक 156

दिनांक 08/04/2026

प्रबन्धक/अध्यक्ष/सचिव  
लायंस पब्लिक स्कूल  
खरहरकुडा, मड़वारानी

विषय:- बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा कानून 2009 के खण्ड 18 के उद्देश्य के लिये बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा कानून के नियम 11 के उप-नियम (4) के तहत विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाणपत्र।

महोदय,

आपका आवेदन पत्र दिनांक 07/04/2026 के संदर्भ में और एतद् विषयक विद्यालय के पत्राचार/विद्यालय के निरीक्षण के उपरान्त मैं, लायंस पब्लिक स्कूल खरहरकुडा, मड़वारानी (विद्यालय का नाम पता सहित) को कक्षा नर्सरी से 8वीं तक के लिए एक वर्ष की अवधि के लिए, जो 2026-27 तक प्रभावशाली रहेगा, अस्थाई मान्यता प्रदान करता हूँ।

उपरोक्त स्वीकृत निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति के अधीन है :-

01. मान्यता की स्वीकृति परिवर्धनीय नहीं है और किसी भी प्रकार के कक्षा VIII के बाद की मान्यता से संबंधित नहीं है।
02. बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार कानून, 2009 (एनेक्सर I) और बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार कानून 2009 (एनेक्सर II) विद्यालय के लिए बाध्यकारी होगा।
03. विद्यालय पड़ोस के कमजोर वर्ग और सुविधाहीन समूह के बच्चों को कक्षा 1ली की दर्ज संख्या के .....% तक प्रवेश देगा और प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता तक निःशुल्क और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा उपलब्ध कराएगा।
04. परिच्छेद 3 में संदर्भित बच्चों के लिए कानून के खण्ड 12 (2) के अनुसार विद्यालय को व्यय प्रतिपूर्ति की जाएगी। ऐसे प्रतिपूर्ति को प्राप्त करने के लिए विद्यालय पृथक बैंक खाता उपलब्ध कराएगा।
05. सोसायटी/विद्यालय कोई भी कैपिटेशन शुल्क नहीं लेगा और न ही बच्चे का या उसके माता-पिता का या पालकों का स्क्रीनिंग टेस्ट करेगा।
06. विद्यालय आयु प्रमाणपत्र के अभाव में, साथ ही धर्म, जाति या वंश, जन्म स्थान या अन्य आधार पर किसी भी बच्चे को प्रवेश से वंचित नहीं करेगा।
07. विद्यालय सुनिश्चित करेगा कि -

- (i) प्रवेशित किसी भी बच्चे को विद्यालय में प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होने तक किसी कक्षा में रोका नहीं जायेगा या विद्यालय से निकाला नहीं जायेगा।
- (ii) किसी भी बच्चे को शारीरिक दण्ड या मानसिक प्रताड़ना नहीं दी जायेगी।
- (iii) किसी भी बच्चे को प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता तक बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की आवश्यकता नहीं है।
- (iv) प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने वाले प्रत्येक बच्चों को नियम 23 में यथानुसार प्रमाणपत्र प्रदान किया जायेगा
- (v) कानून के प्रावधानों के अनुसार विकलांगता/विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का समावेश।
- (vi) शिक्षक कानून के खण्ड 23(1) में निर्दिष्ट न्यूनतम योग्यताओं सहित नियुक्त किए जाने हैं। 5 वर्ष की समयावधि के भीतर ऐसी न्यूनतम योग्यताएं प्राप्त करेंगे।
- (vii) शिक्षकों को देय वेतन और भत्ते, उनकी सेवा नियम व शर्तें कानून के 23(3) के उद्देश्य के लिये नियम 18 के

उप-नियम (1) के तहत राज्य सरकार द्वारा यथा अनुशंसित होगी।

(viii) शिक्षक कानून के खण्ड 24(1) के तहत विनिर्दिष्ट कर्तव्य पूरा करते हैं और शिक्षक स्वयं को निजी शिक्षण गतिविधियों में संलग्न नहीं करेंगे।

08. विद्यालय उपयुक्त प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट पाठ्यचर्या के आधार पर पाठ्यक्रम लागू करेगा।
09. विद्यालय कानून के खण्ड 19 में वर्णित, विद्यालय में उपलब्ध सुविधाओं के आनुपातिक छात्रों को प्रवेश देगा।
10. विद्यालय कानून के खण्ड 19 में विशिष्टीकृत विद्यालय के स्तरों और मानकों को बनाए रखेंगे। अंतिम निरीक्षण के समय प्राप्त सुविधाएं निम्नानुसार हैं :-

विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल	:	14,777 Sq meter
कुल निर्माण का क्षेत्रफल	:	1602 Sq meter
खेल के मैदान का क्षेत्रफल	:	13,175 Sq meter
अध्यापन कक्षाओं की संख्या	:	33 Rooms

प्रधानापाठक सह कार्यालय सह भण्डार हेतु कक्ष :

बालकों और बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय: हों हैं


पेयजल सुविधा :

मध्याह्न भोजन पकाने हेतु किचन

बाधारहित पहुँच

शिक्षण अधिगम सामग्री/खेलकूद के उपकरण/पुस्तकालय की उपलब्धता

11. विद्यालय परिसर के भीतर या समान नाम के विद्यालय में बाहर गैर मान्यता प्राप्त कक्षाएं नहीं चलाएगा।
12. विद्यालय भवन या अन्य निर्माण या मैदान का दिन या रात में व्यावसायिक या आवासीय उद्देश्यों (विद्यालय के किसी कर्मचारी के आवासीय उद्देश्यों को छोड़कर) या राजनैतिक या अन्य प्रकार के अशैक्षणिक उपयोग नहीं किया जाता है।
13. विद्यालय सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 (1860 का 21) के तहत पंजीकृत सोसायटी द्वारा या किसी कानून के तहत समयावधि के लिए गठित पब्लिक ट्रस्ट द्वारा संचालित है।
14. विद्यालय का संचालन किसी व्यक्ति, समूह या व्यक्तियों के समूह या अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं किया जाएगा।
15. लखा परीक्षण कराया जाना चाहिए और चार्टर्ड एकाउंटेंट से प्रमाणित कराया जाना चाहिए और नियमानुसार एकाउंट स्टेटमेंट तैयार किया जाना चाहिए। एकाउंट स्टेटमेंट की एक प्रति जिला शिक्षा अधिकारी को प्रत्येक वर्ष भेजा जाना चाहिए।
16. आपके विद्यालय को आबंटित मान्यता कोड नम्बर 106/289 है। इस कार्यालय के साथ किसी भी पत्राचार में इसे कृपया अंकित किया जाए।
17. विद्यालय समय-समय पर शिक्षा संचालक/जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा चाही गयी जानकारियों और प्रतिवेदनों को प्रदाय करता है और मान्यता की शर्तों की सतत् पूर्ति करने या विद्यालय के संचालन में कमियों के निवारण के लिए राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकरण द्वारा जारी निर्देशों का अनुपालन करता है।
18. सोसायटी के पंजीकरण के नवीनीकरण, आवश्यकतानुसार को सुनिश्चित किया जाए।
19. अन्य शर्तें परिशिष्ट III के अनुसार संलग्न है।

  
जिला शिक्षा अधिकारी  
कोरबा जिला कोरबा (छ.प्र.)  
जिला कोरबा (छ.प्र.)